रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-233009 CG-DL-E-31012022-233009

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943 No. 57] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2022/ MAGHA 11, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 57 (अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा दीनदयाल पत्तन हेतु नीचे दी गई तालिका में क्र.सं.1-5 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

तालिका

| क्र.सं. | सरोकारी | नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम |
|---------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अध्यक्ष | अध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन |
| 2. | उपाध्यक्ष | उपाध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन |
| 3. | रेल मंत्रालय से सदस्य | मुख्य मालभाडा परिवहन प्रबंधक, पश्चिम रेलवे |
| 4. | रक्षा मंत्रालय से सदस्य | नौसेना ऑफीसर-इन-चार्ज, गुजरात |
| 5. | केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला पदेन सदस्य जोकि निदेशक के स्तर से कम न हो | श्री अरविंद चौधरी, (आर्थिक सलाहकार), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय* |

619 GI/2022 (1)

(*अवधि 31.03.2022 तक है)

2. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत गठित दीनदयाल पत्तन का महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाला एक स्थायी निकाय होगा जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल अधिनियम में निर्दिष्ट या आधिकारिक क्षमता में पद धारण करने की अविध, जो भी पहले हो, के अधीन होगा।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (PHRD Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2022

G.S.R. 57 (E).—In pursuance of sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against S.No. 1-5 in the table below, to be the members of the Board of Major Port Authority for Deendayal Port.

TABLE

| Sl. No. | Interests | Name of the Person to be appointed |
|------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Chairman | Chairman, Deendayal Port |
| 2. | Deputy Chairman | Dy. Chairman, Deendayal Port |
| 3. | Member from Ministry of Railways | Chief Freight Transportation Manager, Western Railway |
| 4. | Member from Ministry of Defence | Naval Officer-in-Charge, Gujarat |
| 5. | Ex-officio Member not below the rank of Director to be nominated by Central Government | Shri Arvind Chaudhary, (Eco. Adviser), MoPSW * |

(* term is up to 31.03.2022)

2. The Board of Major Port Authority for the Deendayal Port constituted under Major Port Authorities Act, 2021 shall be a permanent body having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold or dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued. Appointment of members and their tenure will be subject to term as specified in the Act or holding of the post in official capacity, whichever is earlier.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.